# उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
# Uttar Pradesh State Legal Services Authority

## प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की विधिक सेवायें

### विधिक सेवाएँ क्या है ?

- न्यायालय/प्राधिकरण/अधिकरण के समक्ष मामलों को सुलझाने हेतु विधिक सलाह एवं मुफ्त कानूनी सहायता ।
- कानूनी बारीकियों, खर्च व समय की बचत के उद्देश्य से निरन्तर लोक अदालतो का आयोजन।
- वैवाहिक, पारिवारिक एवं अन्य विवादों को मध्यस्थता तथा सुलह समझौते के आधार पर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पारस्परिक सद्भावना के अधीन मामलों का निपटारा।
- जनसाधारण में सामाजिक तथा कानूनी महत्व के विभिन्न मुद्दों पर बडे पैमाने पर जागरुकता हेतु शिविरों का आयोजन।
- कैदियों तथा विचाराधीन अभियुक्तों को नि:शुल्क अधिवक्ता एवं नि:शुल्क विधिक राय।
- गरीब तथा पात्र व्यक्तियों के लिये न्यायालय शुल्क, नि:शुल्क अधिवक्ता एवं वाद व्यय।
- मोटर वाहन दुर्घटना मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को आपसी सुलह समझौते से शीघ्र मुआवजा/क्षतिपूर्ति हेतु वार्ताओं व लोक अदालतों का आयोजन।
- गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें तथा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर गुमशुदा बच्चों का विवरण प्रसारण हेतु सहायता।
- अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों के पुनर्वास हेतु उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना ।

### नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्रता

(क) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य।

(ख) मनुष्यों का अवैध व्यापार किये जाने से आहत व्यक्ति।

(ग) महिला एवं बच्चे।

(घ) दृष्टिहीन, कुष्ठरोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने वाले खानाबदोश, बहरापन, दिमागी कमज़ोरी की निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति।

(ङ) सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्ग विशेष पर अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकम्प अथवा औद्योगिक आपदा से ग्रस्त व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कामगार।

(छ) किशोर अपराधी अर्थात् 18 वर्ष तक आयु के व्यक्ति को सम्मिलित करते हुये विचाराधीन व्यक्ति जो हिरासत में, सुरक्षा गृह, मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में रखा गया है।

(ज) एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 300,000/- से कम है।

**विधिक विषयों एवं योजनाओं से संबन्धित जानकारी एवं सहायता के लिए सम्पर्क करें**

**जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं आपकी तहसील के तहसीलदार से**

**दूरभाष - टोल फ्री : 1800 419 0234, 15100, 9452267450, 9839247613, 9453771821**

ई-मेल : upslsa@nic.in Website : upslsa.up.nic.in